फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्याः– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2022 दिनॉकः फरवरी 23, 2023

:: सराहनीय कार्य ::

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मण्डी पुलिस की बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर गौतस्कर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार। कब्जे से 02 तमंचे मय 05 जिंदा व 02 खोखा कारतूस व 01 मारूती 800 गाड़ी बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 21.02.2023 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 01 मारूती 800 कार सवार दो व्यक्ति सड़क पर घूम रहे 01 गौवंशीय पशु को गाड़ी में डाल कर ले गए थे। थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा उक्त वीडियो के आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 88/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी।

जनपद मुजफ्फरनगर में गौतस्करों के विरुद्ध श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नई मण्डी के निकट पर्यावेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नई मण्डी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.02.2023 को थाना नई मण्डी पर तैनात उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह नागर मय है0का0 534 हर्ष कुमार व का0908 चेतन वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति तथा विवेचना मु0अ0सं0 88/23 धारा 379 भादवि हेतु थाना नई मण्डी से रवाना होकर ईदगाह जौली रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह मय हमराहीगण है0का0 189 अशोक कुमार का0 181 रिंकू के मौके पर आ गए। पुलिस टीम सतर्कता पूर्वक संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि एक मारुति 800 कार जौली रोड ईदगाह की तरफ से आती दिखाई दी। कार की लाईट की रोशनी में पुलिस टीम को देखकर कार चालक गाड़ी को एकदम रोककर पीछे मोड़ने लगा। पुलिस टीम को शक होने पर टार्च की रोशनी डालकर कार चालक को रुकने का इशारा किया गया परन्तु चालक द्वारा कार को नहीं रोका गया तथा कूकड़ी लिंक रोड की तरफ जाने लगा। पुलिस टीम द्वारा कार को रोकने का प्रयास करने पर कार सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम बाल बाल बची। उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा उक्त घटना की सूचना आरटी सेट के जरिए उच्चाधिकारीगण को दी गयी तथी पुलिस टीम द्वारा उक्त कार का पीछा किया गया। कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी सूखी नाली में फँस गयी तथा कार में से 02 बदमाश उतर कर झाड़ी झूण्ड–खाली मैदान की तरफ भागे । पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी गयी परन्तु बदमाशों पर पुलिस की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तथा लगातार पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते रहे। पुलिस टीम द्वारा मैदान की दीवार की आड़ लेते हुए बदमाशों की फायरिंग रेंज में घुस कर अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की गयी। कुछ समय पश्चात बदमाशों की तरफ से फायरिंग बंद हो गयी। पुलिस टीम द्वारा सिखलाए गए तरीके से छिपते–छिपाते नजदीक जाकर

देखा तो एक बदमाश घायल अवस्था में झाड़ियों में पड़ा है जिसके दाहिने घुटने के नीचे से खून बह रहा है तथा कुछ दूरी पर दूसरा बदमाश घायल अवस्था में पड़ा है जिसके बायें पैर से खून बह रहा है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण को प्राथमिक उपचार देकर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले बदमाश ने अपना नाम **इसरार पुत्र उमर दराज निवासी दक्षिणी खाला पार थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर** तथा दूसरे बदमाश ने अपना नाम **सादाब पुत्र इरशाद निवासी ग्राम तेवड़ा थाना ककरौली. मुजफ्फरनगर हाल निवासी जामिया नगर थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर** बताया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण को उपचार हेतु जिला अस्पातल में भर्ती कराया गया है। थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से **02 तमंचे मय 05 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त 01 मारुती 800 कार नं0 डीएल 4 सीएए 1945** बरामद की गयी जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर मु0अ0सं0 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–</u>

1. इसरार पुत्र उमरदराज निवासी दक्षिणी खालापार थाना कोतवालीनगर, मुजफ्फरनगर।
2. शादाब पुत्र इरशाद निवासी जामियानगर थाना कोतवालीनगर मुजफ्फरनगर, मूल निवासी तेवड़ी थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी का विवरण–</u>

- 02 तमंचे मय 05 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
- 01 मारूती 800 कार नं0 डीएल 4 सीएए 1945 (घटना में प्रयुक्त)

<u>गिरफ्तार अभियुक्त इसरार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः–</u>

1. मु0अ0स0 863/15 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कोतवालीनगर, मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0स0 180/22 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर।
3. मु0अ)स0 182/22 धारा 307 भादवि थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर।
4. मु0अ0स0 183/22 धारा 414 भादवि थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर।
5. मु0अ0स0 184/22 धारा 25/27 ए एक्ट थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर।
6. मु0अ0स0 88/23 धारा 379 भादवि थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।**(प्रकाश में)**

<u>गिरफ्तार अभि0 शादाब उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः–</u>

1. मु0अ0स0 72/10 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना ककरौली मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0स0 135/11 धारा 3/5/8 गोवध अधि थाना ककरौली मुजफ्फरनगर।
3. मु0अ0स0 660/2009 धारा = गुण्डा अधि0 थाना ककरौली मुजफ्फरनगर।
4. मु0अ0स0 1816/2009 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
5. मु0अ0स0 2086/2009 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
6. मु0अ0स0 2088/2009 धारा 4/25 ए एक्ट थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
7. मु0अ0स0 88/23 धारा 379 भादवि थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।**(प्रकाश में)**

गिरफ्तार करने वाली टीमः—

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिहं नागर थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
2. उ0नि0 रविन्द्र सिहं परिहार थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
3. है0का0 534 हर्ष कुमार थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
4. का0 908 चेतन कुमार थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
5. है0का0 189 अशोक कुमार थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
6. का0 181 रिंकू थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।

नोटः— गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के गौतस्कर प्रवृत्ति के अपराधी तथा थाना नई मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 88/23 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आए अभियुक्तगण हैं। अभियुक्तगण द्वारा घटना किए जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

23/02/23

कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर।